



126

## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क.

पुनर्विलोकन / 18 पुनर्विलोकन  
प्रक्रिया क्रमांक 2074 | दृष्टिकोण 2018 | 2018

1. वैजनाथ तनय श्री सूरा पाल निवासी— वसारी  
तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.

2. राकेश उर्फ विहारी तनय श्रीहरदास पटेल  
3. वद्री प्रसाद तनय श्री हरदास पटेल निवासीगण ग्राम  
वसारी तहसील रामनगर जिला छतरपुर म.प्र.

..... आवेदकगण

बनाम

1. राज्य शासन म.प्र.  
2. ब्रजलाल तनय श्री विदामा अहिरवार निवासी ग्राम  
वसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.  
3. हरलाल तनय श्री भर्ता पटेल  
4. मंगलीन तनय श्री भर्ता पटेल निवासीगण ग्राम वसादी  
तहसील राजनगर (रिला छतरपुर म.प्र.)  
5. एन.टी.पी.सी. परियोजना बरेढी

..... अनावेदकगण

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51(1) सहपठित धारा 32 म.प्र. भूरा संहिता 1959  
विरुद्ध आदेश दिनांक-08.02.17 द्वारा पारित श्री एम.के.सिंह सदस्य मानवीय  
राजस्व मण्डल ग्वा.म.प्र.

आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

प्रक्रिया क्रमांक 2074 | दृष्टिकोण 2018 | 2018

(2)

1074/10 फूनविलोक्य केसर 2 नवमी/१०८६

14-11-18

— अवेदन आगे की सुनवय

श्रीवाहतव उप. / मुख्य मुद्रा संसदी

आवासी पर तर्ज हैतु।

C.F 9-1-19

लाला

शेर

dated  
09-1-19

संवाद  
(संवाद संभाला  
14-11-18)

09/11/19. (1) प्रमाणां प्रस्तुत | अवेदन आगे की सुनवय — F.D  
श्रीकर्मन को उनके छारा प्रस्तुत फूनविलोक्य  
के अवेदन पर सुना गया।

(2) - इस प्रमाणां के छारा दिनांक 08/02/2017  
को अवेदन प्राप्ति किया गया था, एवं निरापत्ति  
प्रचलन घोषणा न होने के कारण अ निरापत्ति  
अवेदन अग्राह्य किया गया था, इस द्वि  
निरापत्ति-कर्ता को Liberty दी गयी थी कि  
वह घोषणा के 15 दिनों के ~~अंत~~ अंदर  
S.I.O. के यहाँ Appeal कर सकता है।

(3) - प्रतिविलोक्य कर्ता बैजनाथ के छारा दिनांक 8/2/18  
को Appeal होने और समय देने का अनुशासन  
किया है। मेरे छारा अवेदन से वर्णित तथ्यों का  
अवेदन किया गया। सकृदर्शी प्रश्नाएँ पूछाएँ गयीं  
बृहदि होने अवेदन दिया गया।  
अवेदन से वर्णित तथ्यों से मैं सहमत नहीं हूँ।  
अतः अवेदन सरहित होने से निरस्त किया  
जाता हूँ।

Signature  
9.1.19